

## न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक:-14/अ-59/2017-18/12053

बैतूल दिनांक 07/11/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 08 रा. नि. मं. शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार शाहपुर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, मौजा मानसिंगपुरा तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 13.804 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर भूमि पर 07 परिवार मकान बनाकर निवासरत् है, तथा खसरा नंबर 4/1 रकबा 13.533 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर पर 09 परिवार मकान बनाकर निवासरत् है । उक्त भूमि चरनोई मद की होने के कारण इन परिवारो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए, उक्त भूमि का मद परिवर्तन किया जाकर आबादी घोषित करना होगा।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

(1)- मौजा मानसिंगपुरा तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 13.804 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 4/1 रकबा 13.533 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर भूमि की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयविधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 15-8-2017 को आयोजित ग्राम सभा में, मौजा सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक 08 पारित किया जाकर मौजा मानसिंगपुरा तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 1/1 में से 0.405 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 4/1 में से 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

(3)- वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2016-17 के अनुसार मौजा मानसिंगपुरा तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 13.804 हेक्टेयर, तथा खसरा नंबर 4/1 रकबा 13.533 हेक्टेयर चरनोई मद में दर्ज है, तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 के अनुसार खसरा नंबर 1 रकबा 23.921 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 4 रकबा 14.042 हेक्टेयर भूमि घाँस मद में दर्ज है।

(4)- ग्राम मानसिंगपुरा का मकबूजा रकबा 247.305 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 61.845 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रक्षित रकबा 4.946 हेक्टेयर उपलब्ध रहना अनिवार्य है। किन्तु वर्तमान में ग्राम में चरनोई का उपलब्ध रकबा न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है। चरनोई के रकबे में से 0.810 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के बाद भी ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, न्यूनतम रक्षित रकबे से कम नहीं होगा।

(5)- तहसीलदार शाहपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा मौजा मानसिंगपुरा तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 13.804 में से 0.405 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 4/1 रकबा 13.533 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।



3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार शाहपुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मानसिंगपुरा तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 13.804 में से 0.405 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 4/1 रकबा 13.533 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



(मूलचन्द्र वर्मा)  
अपर कलेक्टर  
जिला बैतूल.

पृ0क0:- 14/अ-59/2017-178/ 12053  
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 07/11/2017

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर।
- 2- तहसीलदार शाहपुर।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत सालीमेट जनपद पंचायत शाहपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर  
जिला बैतूल.  
बैतूल